कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुडा भवन भोपाल
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 16/02/2021

क्रमांक 137 /29/आदेश/छा/21 राज्य शासन के एकीकृत छात्रवृत्ति/छात्रवृत्तियॉ नियम (पुनरीक्षित) के प्रतिस्थापित अनुसूची में सरल क्रमांक–3 के अन्तर्गत वर्ष 2020–2021 के लिये निम्नलिखित छात्र–छात्राओ को उनके नाम के समक्ष दर्शाये अनुसार योग्यता के आधार पर स्नातकोत्तर योग्यता कला संकाय पाढ्यक्रम के अध्ययन हेतु राशि रूपये 500/– (पॉच सौ रूपये मात्र) प्रतिमाह की दर से 10 माह की अवधि के लिये छात्रवृत्ति भुगतान करने की आयुक्त उच्च शिक्षा म0प्र0 की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है । यदि किसी छात्र–छात्रा को एकीकृत छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अथवा राज्य शासन की कोई अन्य छात्रवृत्ति हेतु चयन किया गया हो तो उसको एक ही छात्रवृत्ति पाने की पात्रता होगी ।

<u>स्नातकोत्तर योग्यता छात्रवृत्ति कला संकाय</u>

स क्र	छात्र/छात्रा का नाम	शैक्षणिक संस्था का नाम	डी.डी.ओ का नाम जिनके कोषालय सर्वर पर राशि अपलोड है।	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	हिमांशी शर्मा पिता–राजेश शर्मा	शास. स्वशासी मानकुंवर बाई कला/वाणिज्य कन्या महावि. जबलपुर।	शास. स्वशासी मानकुंवर बाई कला/वाणिज्य कन्या महावि. जबलपुर।	5,000/–
कुल योग (रूपये पांच हजार मात्र)				**5,000/–**

कुल योग (रूपये पांच हजार मात्र)

स्नातकोत्तर योग्यता कला संकाय का कुल योग राशि रूपये 5,000/– (रूपये पांच हजार मात्र) ।

उपरोक्त छात्रवृत्ति स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अवधि पूर्ण होने पर संतोषजनक प्रगति,नियमित उपस्थिति तथा आचरण ठीक होने पर संबंधित क्षैत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा म0प्र0 द्वारा नवीनीकरण हेतु राशि स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी ।

उपरोक्त छात्रवृत्ति पर होने वाला व्यय वर्ष 2020–2021 में निम्नलिखित शीर्ष में विकलनीय होगा :–

मांग संख्या 44–उच्च शिक्षा

2202 सामान्य शिक्षा

(03)विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा

(107) छात्रवृत्तियॉ–0103

(6064) कला महाविद्यालय

(41) छात्रवृत्तियॉ एंव वृत्तियॉ–002

निरंतर – –2

उक्त स्वीकृति के आधार पर उपर्युक्त छात्रवृत्तियॉ का 500/– रूपये प्रतिमाह की दर से 10 माह का भुगतान वित्तीय वर्ष 2020–21 में आहरित किया जा सकेगा। उक्त स्वीकृति के आधार पर छात्रवृत्ति के देयक संबंधित शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य एम.पी.टी.सी.–47 में बनाकर दो प्रतियो में पूर्व की भॉति संबंधित शिक्षा अधिकारी को शिक्षा विभाग के आदेश कमांक 7402/20/छात्र/एकीकृत/82–83 दिनांक 31.8.82/11.10.82 के अनुसार प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत करें । प्रति हस्ताक्षर के पश्चात देयक कोषालय में प्रस्तुत करे, एंव भुगतान प्राप्त करें तथा संबंधित छात्र/छात्राओं को नियमानुसार भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र एंव संबंधित विद्यार्थियों से सेवा में न रहने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त कर यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

(चन्द्रशेखर वालिम्बे)
अपर आयुक्त/आयुक्त
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्र. 138/29/आउशि/छा/21

भोपाल दिनॉक 16-02-21

प्रतिलिपिः–

1 महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.।
2. कुल सचिव, संबंधित विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश ।
3 संबंधित क्षैत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. प्राचार्य, संबंधित शासकीय महाविद्यालय मध्यप्रदेश ।
5 कोषालय अधिकारी, संबंधित कोषालय मध्यप्रदेश
6 संयुक्त संचालक (बजट) उच्च शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर इस आशय से कि आदेश के कालम "4" में अंकित महाविद्यालयों के डी.डी.ओ. कोड में कालम "5" में दर्शाई गई राशि अपलोड कराने का कष्ट करें ।

(मनोज कुमार अग्निहोत्री)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश